प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 24 सन 2021

अनवान :–

1. लिछमा पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी उदासर बडा तहसील नोहर हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 03.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही उदासर बडा के खाता संख्या 78/78 की कुल 34.141हैक्ट भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण लीलूराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पति का सही नाम श्योकरण है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी के पति का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी के पति का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी के पति का नाम श्योकरण दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपने पति नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी के पति का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही उदासर बडा के खाता संख्या 78/78 की कुल 34.141हैक्ट भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है। भूमि का प्रार्थी का पति खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी के पति का नाम लिलूराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसके पति सही नाम श्योकरण है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी के पति का नाम श्योकरण दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपने पति नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों मजमे आम में ली गई जानकारी सरपंच की तस्दीक के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही उदासर बडा के खाता संख्या 78/78 की कुल 34.141हैक्ट भूमि में प्रार्थी के पति का नाम लिलूराम दर्ज के स्थान पर लिलूराम उर्फ श्योकरण संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के सगं अभियान–2021
कैम्प कोर्ट पाण्डुसर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 24 / 2021 अनवानी लिछमा बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–
1. लिछमा पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी उदासर बडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही उदासर बडा के खाता संख्या 78 / 78 की कुल 34.141हैक भूमि में प्रार्थी के पति का नाम लिलूराम दर्ज के स्थान पर लिलूराम उर्फ श्योकरण संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट .पाण्डुसर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर